

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 132/2020

दायर दिनांक 09.07.2020

वादी

प्रतिवादीगण

1. प्रेमप्रकाश पुत्र
शिवकरणराम जाति जाट
निवासी मींडासरी,
तहसील- लाडनूं
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:-

1. श्री हरफुलराव वकील वादी

दिनांक 21.04.2022

--: निर्णय ::--


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि वादी मींडासरी का स्थायी निवासी है जहां उसकी चल व अचल सम्पति अवस्थित है व वादी की कृषि भूमि खसरा सं० 205 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा वाकै सरहद ग्राम खारडिया व पटवार क्षेत्र सिंघाना व भू-अभि० क्षेत्र डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज० में अवस्थित है।

यह है कि वादी के खातेदारी व हक अधिकार में आई कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम प्रमेश्वर पुत्र शिवकरण राम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम प्रेमप्रकाश पुत्र शिवकरणराम है जो सही है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमप्रकाश के स्थान पर प्रमेश्वर दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

यह है कि दावा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी किया जाकर उपरोक्त वर्णित खसरा सं० 205 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा ग्राम खारडिया में वादी का नाम प्रमेश्वर के स्थान पर सही नाम प्रेमप्रकाश राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी को सुना गया। रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादी ने अपना शपथपत्र पेश किया। वादी के आधार कार्ड, वोटर आईडी एवं मार्क शीट के आधार पर वादी का नाम प्रमेश्वर पुत्र शिवकरण के स्थान पर प्रेमप्रकाश पुत्र शिवकरण राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री कर वाके सरहद खारडिया वटवार हल्का सिंघाना के खसरा सं० 205 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा में वादी का नाम प्रमेश्वर पुत्र शिवकरण के स्थान प्रेमप्रकाश पुत्र शिवकरण राजस्व रिकर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.04..2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 132/2020

दायर दिनांक 09.07.2020

वादी
1. प्रेमप्रकाश पुत्र शिवकरणराम
जाति जाट निवासी
मींडासरी, तहसील- लाडनूं
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।


दावा बाबत्

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनांक 21.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुलराव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खारडिया वटवार हल्का सिंघाना के खसरा सं० 205 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा में वादी का नाम प्रमेश्वर पुत्र शिवकरण के स्थान प्रेमप्रकाश पुत्र शिवकरण राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसबत् मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)